

प्रेषक,

निदेशक, पंचायती राज,
उत्तर प्रदेश।

प्रथम आवंटन

आयोजनेत्तर-अनुदान सं०-14

तेरह अंको का कोड-2515001010400

सेवा में,

जिला पंचायत राज अधिकारी/मण्डलीय उप निदेशक(प०),
आगरा, लखनऊ, बरेली, गोरखपुर, बस्ती, मेरठ, मुरादाबाद, इलाहाबाद, वाराणसी,
कानपुर नगर, फैजाबाद तथा गोण्डा।

संख्या- 1/शा०/१०/५ /2015-1/21/2015 : लखनऊ: दिनांक 27 अप्रैल, 2015

विषय- चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में मण्डल पंचायत प्रशासन के अधिष्ठान मद में व्यय हेतु अनुदान संख्या-14 के अधीन लेखाशीर्षक 2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-आयोजनेत्तर-101-पंचायतीराज-04-मंडल पंचायत प्रशासन के अन्तर्गत व्यय हेतु धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपयुक्त संयुक्त सचिव, पंचायती राज उ०प्र० शासन के शासनादेश संख्या-1010/33-3-2015-100(7)/2015, दिनांक 23 अप्रैल, 2015 के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में मण्डल पंचायत प्रशासन के अधिष्ठान मद में व्यय हेतु धनराशि संलग्न तालिका के अनुसार ₹ 23118683/- (₹ दो करोड़ इकत्तीस लाख अठारह हजार छः सौ तिरासी मात्र) धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन आवंटित की जाती है:-

- 1- आवंटित की जा रही धनराशि के व्यय के संबंध में वित्त (आय-व्ययक), अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक 30 मार्च, 2015 में उल्लिखित निर्देशों का कड़ाई से अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
- 2- व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल और फाइनेन्सियल हैण्ड बुक के नियमों तथा अन्य अस्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो तो उसमें व्यय करने से पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।
- 3- जिला कार्यालयों को वित्तीय स्वीकृतियों के सापेक्ष एक मुश्त आहरण की अनुमति नहीं दी जायेगी। वित्तीय स्वीकृतियों में आवश्यकतानुसार धनराशि के कोषागार से आहरण की फेंजिंग स्वीकृत आदेश में समावेश सुनिश्चित किया जायेगा। जो सामान्यतः 02 माह की आवश्यकता से अधिक नहीं होगी।
- 4- आवंटित की जा रही धनराशि का आवंटन (एलाटमेण्ट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है, जिन मामलों में उ०प्र० बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो तो, उन मामलों में व्यय के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।
- 5- विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत बजट में प्राविधानित धनराशि का आवंटन एवं आवंटित/वितरित धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-1-1195/दस-16/94 दिनांक 06 जून, 1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
- 6- व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में गितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उ०प्र० बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैंडर्ड्स आफ फाइनेन्शियल प्रोपाइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।
- 7- उपयुक्त पर होने वाला व्यय अनुदान संख्या-14 के अधीन लेखाशीर्षक 2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम- आयोजनेत्तर-101-पंचायती राज-04-मंडल पंचायत प्रशासन के अन्तर्गत सुसंगत मानक मदों के नामे डाला जायेगा।
- 8- नियमानुसार अनुमन्य धनराशि ही वेतन मद में आहरित की जाय। गलत तथा अधिक आहरण के लिये आहरण वितरण अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे।
- 9- कोषागार से आहरित धनराशि का विवरण प्रत्येक माह निर्धारित प्रपत्र बी०एम०-4 में अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाये। बी०एम०-4 पर बने सभी कालम अवश्य भरे जाय तथा विवरण में कोषागार वाक्य संख्या तथा दिनांक एवं धनराशि का उल्लेख अवश्य किया जाये।
- 10- यदि बी०एम०-4 में सूचना नहीं भेजी जाती है तो गबन आदि की कोई भी घटना होने पर संबंधित आहरण वितरण अधिकारी व्यक्तिगत रूप से सीधे जिम्मेदार होंगे।

कु०पु०उ०

11- यदि किसी मद में धनराशि समर्पित की जानी है तो संबंधित कोषागार का प्रमाण-पत्र नोट कराना आवश्यक होगा।

12- एक बार धनराशि समर्पित किये जाने के बाद नियमानुसार निदेशक की लिखित स्वीकृति के बिना उस धनराशि को कोषागार से आहरित न किया जाये। अतः यदि समर्पण के बाद बिना अनुमति के कोई धनराशि कोषागार से आहरित की जाती है तो उराके लिये आहरण वितरण अधिकारी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जायेगी।

13- यह भी सुनिश्चित कर लिया जाये कि आहरित धनराशि के प्रत्येक बिल पर सही मुख्य, उप-मुख्य-लघु, विस्तृत लेखाशीर्षक अवश्य अंकित किया जाये ताकि महालेखाकार कार्यालय में सही बुकिंग में बाधा न हो तथा प्रत्येक बिल के ऊपर दाहिनी ओर लाल स्याही से आयोजनेत्तर शब्द अवश्य अंकित किया जाये जिसके लिये रबर की मोहर अधिक श्रेयष्कर होगी।

14- आवंटित की जा रही धनराशि से एरियर का भुगतान कदापि न किया जाय।

15- संबंधित आहरण वितरण अधिकारी आवंटित धनराशि के व्यय का लेखा जोखा रखें तथा व्यय की सूचना निम्नलिखित तिथि तक निदेशालय को निश्चित रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

1- कोषागार से आहरित धनराशि का मासिक विवरण बी0एम0-4 पर तथा कोषागार द्वारा उपलब्ध कराया गया रिफ्लेक्सलियेशन स्टेटमेंट आगामी माह की 5 तारीख तक अनिवार्य रूप से लेखा एवं बजट अनुभाग-1 को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

2- प्रारम्भिक व्ययाधिक्य तथा बचत विवरण दिनांक 10-02-2016 तक अनिवार्य रूप से निदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

3- व्ययाधिक्य तथा बचत का अन्तिम विवरण दिनांक 15-02-2016 तक अनिवार्य रूप से निदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

4- वर्ष 2015-16 में समर्पण यदि कोई हो तो की सूचना दिनांक 20-02-2016 तक अनिवार्य रूप से निदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

प्रमाणित किया जाता है कि यह आवंटन निदेशालय के आवंटन रजिस्टर के पृष्ठ संख्या-47 पर अंकित है।

संलग्नक उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

Am 27-11

(उदयवीर सिंह यादव)

निदेशक,

पंचायती राज, उत्तर प्रदेश।

संख्या: 1/शा0/10/1/2015 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1-प्रमुख सचिव, पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

2-प्रमुख सचिव, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2 उ0प्र0 शासन।

3-महालेखाकार सी0पी0 सी0-2 उ0प्र0 इलाहाबाद।

4-महालेखाकार लेखा एवं हकदारी प्रथम उ0प्र0इलाहाबाद।

5-वरिष्ठ उपमहालेखाकार/स्थानीय निकाय (लेखा परीक्षा एवं लेखा), चौथा तल, 15-ए, महर्षि दयानन्द मार्ग, सत्यनिष्ठा भवन, उ0प्र0 इलाहाबाद।

6-संबन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

7-एस0पी0एम0यू0, पंचायती राज निदेशालय, उ0प्र0 को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आवंटन विभाग की वेबसाईट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।

(महेन्द्र नारायण)

मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी,

पंचायती राज, उत्तर प्रदेश।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2015-2016
आवंटन दिनांक-27/04/2015

प्रेषण संख्या:- I-sha-10-4-2015-21-2015
आवंटन आदेश संख्या:- 001-21-2015
अनुदान संख्या:- 14 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)(वित्तीय वर्ष 2015-2016 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2515 - अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम(आयोजनेत्तर-मतदेय)
101 - पंचायती राज
04 - मण्डल पंचायत प्रशासन

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		01-वेतन	03-संहगाई भत्ता	06-अन्य भत्ते	योग
1	भेरठ-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, --01-	वर्तमान प्रगामी	1048697 1048697	1185027 1185027	104869 104869	2338593 2338593
2	भागस-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, --01-	वर्तमान प्रगामी	512212 512212	578799 578799	51221 51221	1142232 1142232
3	बरेली-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, --01-	वर्तमान प्रगामी	1597457 1597457	1805126 1805126	159745 159745	3562328 3562328
4	भुरदाबाद 2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, --01-	वर्तमान प्रगामी	392105 392105	443078 443078	39210 39210	874393 874393
5	कानपुर नगर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, --01-	वर्तमान प्रगामी	1013677 1013677	1145455 1145455	101367 101367	2260499 2260499
6	इलाहाबाद-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, --01-	वर्तमान प्रगामी	1193207 1193207	1348323 1348323	119320 119320	2660850 2660850
7	काशी-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, 01	वर्तमान प्रगामी	734213 734213	829660 829660	73421 73421	1637294 1637294
8	गोरखपुर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, --01-	वर्तमान प्रगामी	883636 883636	998508 998508	88363 88363	1970507 1970507
9	बस्ती-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, --01-	वर्तमान प्रगामी	595333 595333	672726 672726	59533 59533	1327592 1327592
10	लखनऊ कलेक्ट्रेट -2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, --01-	वर्तमान प्रगामी	1291933 1291933	1459884 1459884	129193 129193	2881010 2881010
11	फैजाबाद-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, --01-	वर्तमान प्रगामी	841653 841653	951067 951067	84165 84165	1876885 1876885
12	मोहम्मद-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, --01-	वर्तमान प्रगामी	263005 263005	297195 297195	26300 26300	586500 586500
	योग	वर्तमान प्रगामी	10367128 10367128	11714848 11714848	1036707 1036707	23118683 23118683

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया दो करोड़ इकत्तीस लाख अठारह हजार छः सौ तिरासी
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया दो करोड़ इकत्तीस लाख अठारह हजार छः सौ तिरासी

(महेन्द्र नारायण)
मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी